प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) के प्रावधान के अनुसार की जाती है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के राजस्व एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत वर्णित हैं जो 2017-18 की अवधि के दौरान की गई लेखापरीक्षा जांच में सामने आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे, जहां भी आवश्यक है, 2017-18 के पश्चात् की अवधि से सम्बन्धित दृष्टांतों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा तथा लेखा, 2007 विनियमनों तथा लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया है।